उत्तर प्रदेश शासन

पंचायती राज अनुभाग-2

संख्या- 01/2020/212/33-2-2020-58जी/17टी0सी0

लखनऊ : दिनांक : 21 जनवरी 2020

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतों के केन्द्रीय एवं अकेन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग सेवा में दिनांक 01-04-2005 अथवा उसके पश्चात नियुक्त/ विनियमित किए गये नये प्रवेशको, जिनका वित्त पोषण जिला पंचायतों द्वारा स्वंय के संसाधनों द्वारा किया जाता है, पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया है :-

(1) उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतों के केन्द्रीय/अकेन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग सेवा के दिनांक 01-04-2005 अथवा उसके पश्चात नियुक्त/विनियमित समस्त नई भर्तियों पर 01 अप्रैल, 2005 से नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी।

(2) नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन और मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान प्रदेश की जिला पंचायतों द्वारा किया जायेगा, परन्तु दिनांक 01-04-2019 से इस आदेश के प्रस्तर-3 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियोक्ता अंशदान दिया जायेगा, तथापि राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी। अंशदान तथा निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा जो पेंशन टियर-1 खाता होगा। सेवा अवधि में इस खाते से किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। नये प्रवेशकों जो नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे, को परिभाषित लाभ पेंशन सह सामान्य भविष्य निधि योजना के वर्तमान उपबन्धों के लाभ प्राप्त नहीं होगे।

(3) चूंकि नये भर्तीशुदा लोक सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने में सक्षम नहीं होंगे अत: वे पेंशन एक-टियर खाते के अतिरिक्त एक स्वैच्छिक दो-टियर खाता भी रख सकते है। तथापि जिला पंचायतें टियर-दो खाते में कोई अंशदान नहीं करेगी। दो-टियर खाते में अस्तियों का निवेश/प्रबन्धन ठीक उसी प्रकिया के अनुसार किया जायेगा जो पेंशन एक-टियर खाते के लिए है । तथापि कर्मचारी अपने धन के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

'द्वितीय टियर' के सम्पूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

(4) कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्रणाली के टियर-1 को सामान्यत: छोड सकेगा। ऐसा करते समय कर्मचारी से अनिवार्य रूप से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी से एक वार्षिकी का क्रय करें और अपनी पेंशन सम्पत्ति के 40 प्रतिशत का निवेश करे, जिससे कि वह सेवानिवृत्त के समय अपने जीवनकाल के लिए तथा उसके आश्रित माता-पिता तथा उसके विवाहिती के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सके। शेष पेंशन सम्पत्ति, कर्मचारी द्वारा एक मुश्त रूप में प्राप्त की जायेगी जिसे वह किसी भी रीति में उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्त के पूर्व ही पेंशन टियर-एक को छोडने की दशा में अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश पेंशन सम्पत्ति का 80 प्रतिशत होगा।

(5) ऐसे अनेक पेंशन निधि प्रबन्धक होंगे जो मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के निवेशपरक विकल्प प्रस्तावित करेंगे। पेंशन निधि प्रबन्धक तथा अभिलेखपाल संयुक्त से अपने विगत कार्य-कलाप के बारे में आसानी से समझी जाने वाली सूचना देंगे जिससे कि कर्मचारी निवेशात्मक विकल्पों में से सूचित विकल्पों को चुन सके।

2- नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के प्रचालनीकरण के लिए प्रभावी दिनांक 01 अप्रैल, 2005 होगी।

3- नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पूर्ववत वेतन और मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा तथा दिनांक 01-4-2019 से उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतों द्वारा कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन और मंहगाई भत्ते के 14 प्रतिशत के बराबर का अंशदान किया जाएगा।

4- उक्त के अतिरिक्त नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के सम्बन्ध में जो भी नियम सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये हो अथवा किये जाएं वे जिला पंचायत के सेवकों पर भी स्वत: प्रभावी माने जाएगें।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-सा-3-09/दस-2020 दिनांक 10-01-2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

अनीता सिंह
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या : 01/2020/212(1)/33-2-2020 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

5- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के कार्मिकों के सम्बन्ध में उक्त प्रक्रियानुसार कार्यवाही सुनिश्चत करने का कष्ट करे।

6- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अकेन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के कार्मिकों के सम्बन्ध में उक्त प्रक्रियानुसार कार्यवाही सुनिश्चत करने का कष्ट करे।

7- समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

अवधेश कुमार खरे
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।